बरमा से इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन द्वारा अर्जित की गई आय का स्थानांतरण

***२३७. श्री नवाबसिंह चौहान :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के लिये रंगून और कलकत्ता के बीच चलने वाले वायुयानों से होने वाली आय को बरमा से भारत लाना लगभग असम्भव सा हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो कितना रुपया भारत लाया जा सकता है और अब तक बरमा में कितना पया जुड़ गया है ; और

(ग) इस आय को भारत को स्थानान्तरित करने के लिये सरकार ने क्या प्रयत्न किये हैं और उनका क्या परिणाम निकला है ?

†[TRANSFER OF INCOME EARNED BY INDIAN AIRLINES CORPORATION FROM BURMA

*237. SHRI NAWAB SINGH CHAUHAN: Will the Minister of TRANSPORT AND COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that it is almost impossible for the Indian Airlines Corporation to bring from Burma to India the income on air services between Rangoon and Calcutta;

(b) if so, how much money can be brought to India and how much money has so far been collected in Burma; and

(c) what efforts Government have made for the transfer of this income to India and what has been the result thereof?]

THE DEPUTY MINISTER OF CIVIL AVIATION (SHRI AHMED MOHIUDDIN): (a) No, Sir.

(b) and (c): Do not arise.

I may however add that periodical applications are made to the exchange control authorities in Rangoon and remittance to India is made after the necessary permission has been obtained.

†[नागरिक विमान चालन उपमंत्री (श्री अहमद मोहिउद्दीन) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) सवाल ही नहीं उठता ।

मैं यह भी बताना चाहता हूं कि रंगून के विनिमय-नियंत्रण प्राधिकारियों को नियतकालिक दरख्वास्तें दी जाती हैं और आवश्यक अनुमति मिलने पर रुपया भारत भेजा जाता है ।]

श्री नवाबसिंह चौहान : कारपोरेशन को जो आमदनी टिकट बेचने से बर्मा में होती है—रंगून कलकत्ता एयर सर्विस चलाने से—उसकी आमदनी का कितना परसेंट हिन्दुस्तान में आज़ादी के साथ आ जाता है और कितना नहीं आने दिया जाता है ?

श्री अहमद मोहिउद्दीन : यह परसंटेज का सवाल नहीं है । जो आमदनी रंगून में होती है वहां उसके कुछ अखराजात अदा करने के बाद जो रकम बच जाती है उसको हिन्दुस्तान मुन्तकिल करना पड़ता है और उस मुन्तकिली के लिये एक्सचेंज कंट्रोल को दरख्वास्त दी जाती है और ज़रूरी इजाज़त हो जाने के बाद रकम मुन्तकिल की जा सकती है ।

श्री नवाबसिंह चौहान : क्या यह सच है कि वहां से पिछले साल कोई ३४·५ लाख रुपया हिन्दुस्तान को नहीं आ सका और वह दान के रूप में बरमा गवर्नमेंट को दे दिया गया ?

श्री अहमद मोहिउद्दीन : यह बिल्कुल गलत है ।

†[ ]English translation.

†[ ] Hindi translation.

श्री व्यंकट कृष्ण ढगे : आपको कितनी रकम ले जाने की इजाज़त मिलती है ?

श्री अहमद मोहिउद्दीन : जितनी रकम हमको मुन्तकिल करनी पड़ती है उतनी की इजाज़त होती है ।

SHRIMATI T. NALLAMUTHU RAMAMURTI: May I request the hon. Minister to say that in English?

SHRI AHMED MOHIUDDIN: The Corporation submits periodical accounts and applications for remittance of funds and the permission is granted according to our requirements from time to time.

श्री नवाबसिंह चौहान : कारपोरेशन का कितना रुपया बरमा बैंक में इस मद में जमा है ?

श्री अहमद मोहिउद्दीन : बरमा बैंक में क्या रक़म है, उसका मुझे इल्म नहीं है । जैसा कि मैंने अर्ज़ किया ज्यादा नहीं हो सकता । एक्सचेंज कंट्रोल वहां भी मौजूद है । लेकिन जो रकम इस वक्त १९५७-५८ की वहां से यहां आनी है वह कोई दस लाख रुपये से ऊपर की है । इस रकम के बारे में अभी हाल अप्रैल मे दरख्वास्त पेश की गई है और जल्दी ही बैंक से वह रकम मुन्तकिल हो जायगी ।

बिना टिकट के मुसाफिरों द्वारा गया के स्टेशन और रेलवे कर्मचारियों पर हमला

***२३८. श्री नवाबसिंह चौहान** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ३० मई, १९५८ को कुछ बिना टिकट के मुसाफिरों ने गया के स्टेशन और रेलवे कर्मचारियों पर हमला किया था और जन तथा धन की हानि पहुंचाई थी; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की है ?

†[ATTACK ON THE RAILWAY STAFF AND STATION AT GAYA BY TICKETLESS PASSENGERS

*238. SHRI NAWAB SINGH CHAUHAN: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that on the 30th May, 1958 some ticketless passengers attacked the railway staff and invaded the station premises at Gaya and caused loss of life and property; and

(b) if so, what action has so far been taken by Government in the matter?]

रेल उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) गया स्टेशन पर इस तरह की एक घटना ३० मई, १९५८ को नहीं, बल्कि २७ मई, १९५८ को हुई थी । इसमें कोई आदमी नहीं मरा, लेकिन रेलवे को ३६ रुपये का नुकसान हुआ जिसमें कुछ नक़द रकम भी शामिल है ।

(ख) रेलवे पुलिस ने तीन आदमियों को गिरफ्तार किया था जिन पर आई० पी० सी० की दफ़ा १४३/३३६ और भारतीय रेल अधिनियम (Indian Railways Act) की दफ़ा १२१ के अधीन फ़र्द-जुर्म लगाया गया है । मामला डिविज़नल अफसर, गया सदर की अदालत में चल रहा है ।

†[THE DEPUTY MINISTER OF RAILWAYS (SHRI SHAH NAWAZ KHAN): (a) One such incident took place at Gaya Station on the 27th May, 1958 and not on the 30th May, 1958. There was no loss of life, but there was loss of property and cash amounting to Rs. 36.

(b) Three men were arrested by the Government Railway Police and charge sheets have been submitted against them by the police, under

†[ ] English translation.